

प्रेस-विज्ञापिथाना-दीदारगंजअवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, इनामीया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन मे थानाध्यक्ष दीदारगंज संजय कुमार सिंह सतत पर्यवेक्षण में उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र करते हुए मार्टिनगंज में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति मार्टिनगंज यूनियन बैंक के सामने किसी आपराधिक घटना कारित करने के उद्देश्य से खड़ा है जिसके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर उ0नि0 जावेद अख्तर मय पुलिस बल के साथ मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंचकर एक बारगी दबिश देकर खड़े व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने पूछताछ पर अपना नाम सत्येंद्र कुमार उर्फ मोनू पुत्र सर्वजीत निवासी महुजा नेवादा थाना वरदह जिला आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस.315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 34/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय चालान किया गया।

थाना कन्धरापुर03 वारण्टी गिरफ्तार

दिनांक- 17.02.2021 को SHO दिनेश कुमार सिंह व व0उ0नि0 कैलाश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मु0नं0 1297/2018 धारा 295/147/504/506/427 भादविसे सम्बन्धित वारण्टी 1- रामवृक्ष पुत्र बालकिशुनउम्र करीब 52 वर्ष नि0 हरिरामपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 12.30 बजे व मु0नं01348/2018 धारा323/504/506 भादविसे सम्बन्धित वारण्टीगण1. अनीश पुत्र वकील उम्र करीब 29 वर्ष, 2. इबरार पुत्र जैनुल उर्फ साधू उम्र करीब 28 वर्ष नि0गण मोर्चा मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को उनके घर से समय 12.4 5 बजे गिरफ्तार किया गया व माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।